

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/108


दिनांक:-15/5/19

आदेश

मण्डल की समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण दिनांक 30.04.2019 के बिन्दु संख्या 9 में मण्डल में प्रधानमंत्री जन आवास योजना/मुख्यमंत्री जन योजना (PMAY/CMJY) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासो/प्लेटों के आवंटन पत्रों में शर्त संख्या 8 में स्पष्ट उल्लेख किया जावे:-


"This allotment is entitled to avail the benefit of 'Credit Linked subsidy Scheme' under 'Pradhan-Mantri Avas Yojana' being provided through Banks. Allottee may contact to authorized Bank to obtain the benefit of CLSS".

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -प्रथम, द्वितीय, तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड ,रा0 आ0म0
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक